

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.24(2)न्याय / 2023

जयपुर, दिनांक

विषय:—विधि रचनाकार (विधि एवं विधिक कार्य विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अन्तर्गत विधि रचनाकार के पद पर आरक्षित सूची से चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज के सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधि रचनाकार (विधि एवं विधिक कार्य विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अन्तर्गत विधि रचनाकार के पद पर नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने आरक्षित सूची से चयनित एक अभ्यर्थी की सूची भिजवाई है। आयोग द्वारा नियुक्ति से पूर्व नियुक्तकर्ता को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण-पत्र आदि की जांच मूल प्रमाण-पत्रों से करने के निर्देश दिए गए हैं।

निम्न अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में विभाग की वेबसाइट www.law.rajasthan.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करते रहे, जिससे नियुक्ति पत्र/पदस्थापन तथा अन्य संबंधित सूचना आपको प्राप्त होती रहे। यदि कोई आवश्यकता हो तो वेबसाइट पर उपलब्ध दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

अतः निम्न तालिका में अंकितानुसार चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र(10वीं, 12वीं एवं विधि स्नातक आदि), अनुभव प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मेडिकल ऑफिसर से प्राप्त कर मूल एवं अतिरिक्त प्रति), विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, जीवित संतान/संतानों की सूचना का प्रमाण-पत्र, दहेज नहीं लेने/देने का परिवचन/घोषणा-पत्र, धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने का वचन पत्र (विभागीय वेबसाइट पर सभी प्रपत्र उपलब्ध हैं), दो पासपोर्ट साईज फोटो (फोटो के पीछे नाम व मैरिट नं. अंकित) एवं यदि राजकीय सेवा/केन्द्रीय कार्यालय/संस्था में पूर्व से नियोजित है, तो वहां से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि के साथ दिनांक 19.09.2025 को प्रातः 11:00 बजे कमरा नं.-1032, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में उपस्थित होने का श्रम करें:-

S.No.	Name of Candidate	D.O.B.	Roll No./Merit	Category	S.Type
1	Mukesh Kumar Dudi	26.04.1987	1056403 (R4)	BC	OBCM

उक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- उप शासन सचिव, सुरक्षा/स्वागत कक्ष, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों को शासन सचिवालय, जयपुर परिसर में प्रवेश की अनुमति दिलवाये जाने का श्रम करावें।
- एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित अभ्यर्थी।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव